MOHIT
PAPER MILLS LIMITED

Works : 9th Km. Stone, Nagina Road
Bijnor-246701 (UP) INDIA
Tele : 01342 - 283051
E-mail : mohit.paper@rediffmail.com
Website : www.mohitpaper.in
CIN : L21093DL1992PLC116600

Date : 05 September 2024

Listing Deptt. / Deptt. of Corporate Relations
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai
Fax- 022-22722037/ 39/41/61/3121/22723719

Dear Sir/ Madam,

Sub: Submission of Newspaper Advertisement pertaining to 32nd Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31st March 2024.

Ref: Security Code: 530169; Security ID: MOHITPPR

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published on 05th September, 2024 in "TOP Story" (in English) and "Haribhoomi" (in Hindi) with regard to the Notice of 32nd Annual General Meeting of the Company which is scheduled to be held on Friday, the 27th September, 2024 at 04: 00 p.m. IST through VC/OAVM.

Please take note of the above information on record.

Thanking you,

For **Mohit Paper Mills Limited**

SANDEEP JAIN
Digitally signed by SANDEEP JAIN
Date: 2024.09.05 11:00:21 +05'30'

Sandeep Jain
Managing Director cum Chairman
DIN: 00458048

Enclosed: as above

NEWS IN BRIEF

Farmers demand to make Yamuna Expressway toll free

Noida

The members of the Bharatiya Kisan Union Mahasabha during a meeting with the officials of the Yamuna Authority on Wednesday, demanded to make the small toll of Yamuna Expressway at Jewar toll free for the locals.

The national president of this organisation, Geeta Bhati, said that the small toll located at Jewar should be made free for the general public. Also, local youth should be given employment in companies on the basis of original ID.

Bhati also said that apart from staging protests, a number of meeting have been held with the officials of the authority in this regard. Even after that, the problems of the farmers are not being resolved.

If the problems are not resolved soon, then a big movement will also be organised regarding this. In the meeting, the officials said that the problems of the farmers will be resolved soon.

During this, the farmers also submitted a memorandum related to their demands to the officials. The farmers present in the meeting said that if the problems are not resolved soon, then they will start a big movement against the authority by holding public awareness campaign regarding this.

Man dies after grandson attacks him in North-West Delhi

New Delhi

A 93-year-old man died after his grandson attacked him during a dispute over their tenant in North-West Delhi's Adarsh Nagar, police said on Wednesday.

According to the police, the dispute began on Monday when the grandfather spoke to the tenant, prompting the grandson to protest, insisting that only he should handle any issues with the tenant. This led to a verbal argument between them.

The dispute escalated, and in anger, the grandson tried to manhandle his grandfather. The elderly man was rushed to the hospital where he died on Tuesday night.

Following the incident, the grandson is on the run from the law enforcement agency.

The police have registered a case of murder in this regard and have launched an investigation.

Man kills cousin with hammer injures aunt over property in Gurugram

Gurugram

A 20-year-old man was killed with a hammer on Wednesday, and his mother wounded, by the man's cousin over a piece of property, police said.

Rakesh Kumar was attacked inside his home by the accused with a hammer, they said.

Rakesh's brother Rajesh told police his cousin barged inside the house and attacked Rakesh in his sleep.

"There was some dispute between the family members over a plot. Earlier, the matter was resolved in the panchayat. On Wednesday, my cousin Ravinder barged inside the house and attacked Rakesh with a hammer when he was sleeping," Rajesh said in his police complaint.

He said when his mother tried to save him, Ravinder attacked her also and fled.

BJP defeats AAP in MCD ward poll to dominate civic agency

New Delhi

The BJP on Wednesday defeated the AAP in the MCD zonal ward polls, sealing its dominance in the highest decision making body of the civic agency -- the standing committee.

The BJP bagged the posts of chairman, deputy chairman of the zonal-level ward committees, and one member each for standing committee in seven of 12 zones, restricting AAP to five zones in the keenly contested poll.

Voting in three zones -- Karol Bagh, City SP, and Keshav Puram -- was not held as neither the BJP nor the AAP fielded their candidates.

BJP bagged Narela, Civil Lines, Keshav Puram, Shahdara North, Najafgarh,

Shahdara South, and Central Zones, while AAP won Karol Bagh, West, South, City SP and Rohini zones.

Pawan Shehrawat and Sugandha, the councillors who recently switched sides from the AAP to BJP, won the post of chairman for the ward committees from Narela and Central Zones respectively.

The Civil Lines Zone saw a keen contest between the

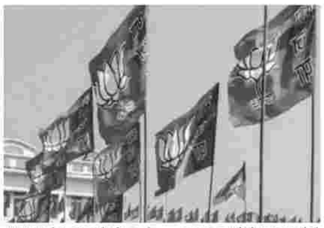

AAP and BJP with the saffron party winning all three posts by a margin of one vote each.

Anil Kumar Tyagi defeated Ajeet Singh Yadav by polling 10 votes, while Rekha triumphed over her rival Gagan Chaudhary in a similar fashion.

Former North Delhi mayor and BJP leader of opposition in MCD Raja Iqbal Singh defeated Promila Gupta of AAP by polling 10 votes as against nine by her.

In the Karol Bagh Zone, AAP councillor Rakesh Joshi was elected unopposed as chairman of the ward committee, while Jyoti Gautam and Ankush Narang bagged the posts of deputy chairman and member of the standing committee in absence of any BJP candidate.

AAP candidates Mohd Sadiq, Kiran Bala, and Punardeep Singh Sawhney were elected unopposed as chairman, deputy chairman of the ward committee, and member of the standing committee from City SP Zone in the absence of any candidates from the BJP.

BJP candidates were elected unopposed from the Keshav Puram Zone.

In South Zone, cross voting led to a tie between the BJP and AAP. Through lottery, AAP won the zonal chairman post. The party's candidates also won the posts of chairman and standing committee member.

In Rohini, AAP's Suman Anil Rana won the president's post by defeating her BJP rival. Dharam Rakshak and Daulat bagged the posts of deputy chairman and standing committee member after the BJP candidates withdrew nominations for the two posts.

In the West Zone, the BJP candidates withdrew their nominations for the three posts.

The Shahdara North zone saw BJP candidates emerging victorious after defeating their Congress rivals. The voting for the ward committee polls in the zone went on for the longest time.

The Congress, which has nine councillors, had fielded candidates from the Shahdara North zone. The AAP candidates withdrew their nomination for the post of chairman and deputy chairman, while Congress candidate withdrew her nomination from the standing committee member.

Former East Delhi mayor Neema Bhagat was elected as a standing committee member from Shahdara South Zone.

The elections were carried out smoothly under a heavy security deployment.

The voting was held in two clusters of all MCD zones, held simultaneously with councillors of five zones casting their votes together, while the remaining zones will go to polls separately.

The long pending elections were held for the first time since the unification of the trifurcated MCD in 2022. Due to a political deadlock between the ruling AAP and the opposition BJP, the polls could not take place and the matter became sub judice.

The elections are being held through secret ballot in accordance with the Delhi Municipal Corporation Regulations, 1958.

Police had beefed up security arrangements in and around the Civic Centre located in central Delhi ahead of the polls.

A company of paramilitary personnel along with local police has been deployed at the spot.

Delhi's Rithala-Narela metro corridor to be extended up to Haryana

New Delhi

The Delhi Metro's Rithala-Narela corridor will be extended to Kundli-Nathupur in Haryana, Transport Minister Kailash Gahlot said on Wednesday.

The Delhi government has given a principal approval for the extension and will send the proposal to the Centre so that it can move to the tendering stage, he said.

"The total length of the metro corridor will be 23.73 kilometres, of which 2.72 kilometres will be in Haryana," Gahlot said at a press conference.

The extension will feature 19 stations between Rithala and Narela, with two additional stations in Haryana, and will be completed at an estimated cost of Rs 6,230.99 crore, he said, adding that the project is expected to be finished in four years.

The minister said the corridor will connect the rural areas of the Delhi-Haryana border to the main city as buses are the only mode of public transport there.

Commuters from these areas will now be able to reach the heart of Delhi within an hour and a half, he added.

Delhi LG files reply to Medha Patkar's appeal against sentence says plea not maintainable

New Delhi

Delhi Lieutenant Governor V K Saxena on Wednesday filed his reply to the appeal filed by Narmada Bachao Andolan leader Medha Patkar against her five-month sentence, saying the appeal was legally not maintainable and was liable to be dismissed.

Additional Sessions Judge Vishal Singh of the Saket Court had on July 29 suspended Patkar's sentence in the defamation case filed by Saxena 23 years ago when he headed an NGO in Gujarat and sought his reply.

On July 1, a magisterial court had sentenced Patkar to five months of simple imprisonment, besides imposing a fine of Rs 10 lakh.

On Wednesday, advocates Gajinder Kumar and Kiran Jai, counsel for Saxena, objected to Patkar's appeal saying it was not maintainable and was liable to be dismissed as Patkar did not sign it.

They said the appeal dated July 24 carried only the signature of Patkar's counsel.

Besides, she had filed a "false affidavit" which was "ante-dated" or signed and attested on July 17, the date on which the appeal did not exist, the advocates said, adding because of these reasons, there was "gross suspicion" about the "veracity

and truthfulness" of the appeal's contents.

According to Saxena's reply, "Such manner of filing of an appeal i.e., without signatures of the accused or appellant (Patkar) and supported with the ante-dated false affidavit is not only an act of contempt of this court and perjury rather it is a smart strategy on the part of the appellant to disown any or entire facts and records as per her convenience."

The reply alleged that Patkar had previously misled the courts and tried to shift the burden on her advocates after being caught by pleading ignorance and inadvertent errors.

The court then asked Patkar's counsel Sri Devi to email a copy of the appeal under Patkar's signature on the court's official email ID.

It said that the "legal issues" raised by Saxena's advocate were being kept open.

The matter has been posted on October 18 for further proceedings.

Earlier, on May 24, a court had convicted Patkar observing that her statements calling Saxena a "coward" and alleging his involvement in hawala transactions were not only defamatory per se but also crafted to incite negative perceptions about him.

Patkar and Saxena have been locked in a legal tussle since 2000 after she filed a suit against him for publishing advertisements against her and the Narmada Bachao Andolan (NBA).

Saxena, who then headed an Ahmedabad-based NGO named 'Council for Civil Liberties', had also filed two cases against Patkar in 2001 for making derogatory remarks against him on a TV channel and issuing a defamatory press statement.

Delhi-NCR witness rain, waterlogging woes for commuters

New Delhi

Residents of Delhi and its satellite cities, Noida and Gurugram, witnessed significant downpour on Wednesday afternoon, bringing the much-needed respite from the humid weather.

Due to the afternoon showers, several places reported waterlogging, forcing the traffic to crawl during the midday in the capital city.

The India Meteorological Department (IMD) had earlier predicted moderate to heavy rain along with thunderstorms for Wednesday while a moderate rainfall is expected on Thursday too.

The weather department stated that the capital city received 0.8 mm of cumulative rainfall while parts such as Arya Nagar recorded 50mm, Narela – 34.5 mm, Delhi University – 20 mm, and Ridge registered 11 mm rainfall.

The total rainfall recorded in Gurugram was 34mm, added the weather department.

Due to the rain, the maximum temperature settled at 32.4 degree Celsius while the minimum was recorded at 25.2 degree Celsius, stated the IMD.

PUBLIC NOTICE

This is inform public at large, that my client Kairun Nisa W/o Shamim Hussain R/O H-74 A, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, District South Delhi, Delhi- 110025 have disowned/debarred her daughter TABASSUM D/o Sh. Shamim Hussain From her movable and immovable property and other assets and have severed all his family relation with them by all means with their ill behavior and attempting to threatening her with dire consequences, if any person deal with them by any one herself/himself shall be his own responsibility.

RAHUL GUPTA
Advocate
Consultation Room, C.K. Daphtary Building SUPREME COURT OF INDIA

PUBLIC NOTICE

My client Badri Prasad S/o Sh. Sukru Ram and his wife Smt. Hemlata both R/o RZQ-20, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041 have debarred their son namely Rohit Kumar and his wife Smt. Khushbu from their all moveable and immovable properties and severed all relations with them due to their bad behaviour and my clients are not responsible for their any acts and deed, hence forthwith.

DR. SUMAN TANWAR,
Advocate
Ch. No. 589, 2nd Floor, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my clients Sh. Rajesh S/o late Kashmiri Lal and his wife Smt. Babita, both R/o 16/394, Gali no.13, Joshi Road, Karol Bagh, Delhi-110005 have severed all their relations with their son Sh. Tarun and his wife Smt. Neha due to their bad habits. My clients have also disowned and debarred Sh. Tarun and Smt. Neha from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with them shall be doing so at their own risk and consequences and my clients will not be responsible for any act, deed or dealing done by Sh. Tarun and Smt. Neha.

ALOK SHARMA
ADVOCATE
378 WESTERN WING,
TEES HAZARI COURTS,
DELHI-110054.

MOHIT PAPER MILLS LIMITED

CIN: L21093DL1992PLC116600
Regd. Office: 15A/13, Upper Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008
Works: 9KM Stone, Nagina Road, Bijnor, UP- 246701
Ph: 011- 25886798,
Website: www.mohitpaper.in, **E-Mail:** investorsmohitpaper@gmail.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

This is in continuation to our earlier communication given on August 27, 2024, whereby Members of Mohit Paper Mills Limited ("**the Company**") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI Listing Regulations"] read with General Circular Nos.14/2020 (dated 8th April 2020) and latest being Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular's") and Circular No(s). SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (12th May,2020), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 (15th January, 2021), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (13th May, 2022), Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (5th January, 2023), and latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular's"), the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company is being held on Friday, September 27, 2024 at 4:00 P.M. and is convened through Video Conferencing ("VC") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of the 32nd AGM.

The process of sending the Notice of 32nd AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024 along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed on 03rd September, 2024 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, as well as the same are also available on Company's website at www.mohitpaper.in and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and RTA i.e. Link Intime India Private Limited ("**LIIPL**") at https://instavote.linkintime.co.in. The hard/electronic copy of annual report will also be sent to those shareholders who request for the same by writing us at investorsmohitpaper@gmail.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) using the link https://instavote.linkintime.co.in on all resolutions set forth in the Notice of the 32nd AGM. The shareholders of the Company may attend the AGM through VC/OAVM facility by using the link i.e. https://instameet.linkintime.co.in. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC/OAVM facility. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 ("Cut-off date") may cast their votes electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through video conference VC/OAVM.

All the members are informed that:

1. The businesses as set out in the Notice of 32nd AGM will be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on 24th September 2024 at 9.00 a.m. (IST);
3. The remote e-voting shall end on 26th September 2024 at 5:00 p.m. (IST);
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the 32nd AGM is 20th September, 2024 and a person who is not a Member as on the cut-off date may treat this Notice for information purposes only;
5. Person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice of 32nd AGM and holding shares and eligible to vote, may obtain the Login ID and password for casting vote electronically from Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Link Intime India Private Limited (LIIPL) as provided in the Notice of the AGM or write an email to us at instameet@linkintime.co.in/ enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175/ call on 022-49186000. If such a person is already registered with Linkintime for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.
6. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the RTA after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
7. Mr. Ankit Jain, Practicing Company Secretary (CP No. 26724) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process at 32nd AGM in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.
8. The Scrutinizer will submit its final report after the conclusion of voting at the 32nd Annual General Meeting but not later than 2 (two) working days from the closure of AGM; and the Chairman of the meeting or any other person authorized by him in that behalf shall announce the result of voting on the resolutions taken up at the 32nd Annual General Meeting simultaneously upon submission of final report by the Scrutinizer. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at www.mohitpaper.in and simultaneously be communicated to the BSE Limited i.e. www.bseindia.com and RTA.
9. In case of any queries, including issues and concerns related to remote e-voting and voting at AGM you may refer FAQs and Instavote e-voting manual available at Instavote-Linkintime or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or call on 022-49186000.

By order of the Board
FOR MOHIT PAPER MILLS LIMITED
Sd/-
(Sandeep Jain)
Manging Director cum Chairman

Date: September 04, 2024
Place: New Delhi

Delhi Skill and Entrepreneurship University is a monument of govt's failure, says Gupta

New Delhi

Launching a fresh attack on the Aam Aadmi Party (AAP) government, Leader of Opposition in the Delhi Assembly, Vijender Gupta on Wednesday criticised its Delhi Skill and Entrepreneurship University, terming it a failure in the wake of an order to shut B Tech branches across its campuses.

Gupta has also condemned forced relocation of students in this connection, and said,"It's a disgrace that the B Tech program, typically one of the most sought-after courses, couldn't even attract 20 students at DSEU. This spectacular failure exposes Kejriwal's education revolution for what it truly is-a monumental fraud," Gupta claimed.

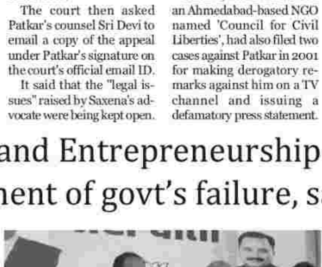

The BJP leader further said, "The state of DSEU is appalling. Over 60 per cent of seats remained vacant this academic year, despite multiple rounds of counseling. In a desperate move, they've had to discontinue a staggering 40 skill development programs. Many campuses lack even basic amenities like regular water and electricity connections. There's a glaring absence of labs, equipment, and qualified instructors," Gupta claimed.

The saffron party MLA also claimed that part-time faculty haven't received their salaries for over a year, and further alleged that the university lacks AICTE approval for courses under its purview, severely eroding public trust.

He also alleged that the 4-5 times fee hike that has made the university unaffordable, is completely contradicting AAP's promises of accessible education.

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Anil Kumar Malhotra S/o Late. Somnath Malhotra R/o H.No. D-15/267, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 has severed all his relations and disowned and debarred his son namely Sanchit Malhotra from his all moveable & immoveable properties due to his hostile and un-respective nature towards my client. Anybody deals with him shall do so at their own risk and responsibility.

PRADEEP KUMAR SHARMA
ADVOCATEE
CHAMBER NO. 1309, 13th Floor, Lawyers Chamber Building, ROHINI COURT, ROHINI DELHI -110085

EASTERN RAILWAY

Open Tender Notice No. : MC-60-AMC-EOT-EPM-HWH-24, dated 02.09.2024. Open tender is invited by Senior Divisional Mechanical Engineer (Chg. & T/S), Eastern Railway, Howrah, DRM Building, Near Railway Station, Howrah-711101 for the following work. **Name of the Work :** Maintenance of EOT Cranes and Electrical Equipments under Mechanical (C&W) Department of Howrah Division for a period of 3 years. **Tender Value :** ₹ 1,75,04,211.37. **Earnest Money to be deposited :** ₹ 2,37,500.00. **Period of Contract :** 36 months from the date of commencement of work. **Bid closing date and time :** 24.09.2024 upto 14.00 hrs. **Website particulars for submission of Tender online : www.ireps.gov.in**

HWH-263/2024-25

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

Follow us at : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Morning Glory Leasing & Finance Limited

Regd. Off: Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046
CIN: L67120DL1984PLC018872 Tel. No.: +91 11 47119100
Email: morninggloryleasing@gmail.com, Website: www.morninggloryleasing.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Morning Glory Leasing and Finance Limited will be held on Monday, the 30th day of September, 2024 at 11:00 A.M. at its registered office at IRIS House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi – 110046.

Notice is further given that pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the shareholders attending the AGM.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 23rd September, 2024 (i.e. Cut-off date) may cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice of the 40th AGM through Remote E-voting services provided by National Securities Depository Ltd ("NSDL"). All the members are informed that:

a) Notice of 40th AGM along with Annual Report for the FY 2023-24 has been sent to all the members in Physical form on their registered address through permissible mode.
b) The remote e-voting shall commence on 27th September, 2024 (09.00 a.m. IST) and end on 29th September, 2024 (05:00 p.m. IST).
c) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or bssdelhi@bigshareonline.com.
d) The facility for voting through Ballot Paper/Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper/Polling Paper.
e) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot paper/Polling Paper.
g) The Notice of 40th AGM is available on the Company's website www.morninggloryleasing.in and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com.
h) In case of any queries members may contact the undersigned at +91 11 47119100 and may also write to the undersigned at morninggloryleasing@gmail.com or at the Registered office address at IRIS House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046

For Morning Glory Leasing & Finance Limited
Sd/-
Raman Kumar
Company Secretary cum Compliance Officer

Date: 04.09.2024
Place: New Delhi

प्रीमियम बस योजना दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है : गहलोत

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की एप्प-आधारित 'प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम' दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। यह बात बुधवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट डिपो में उबर की बसों के निरीक्षण के दौरान कही। गौरतलब है कि दिल्ली में यातायात की स्थिति सुधारने, नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, उबर ने अपनी सेवा शुरू कर दी है, जिसमें आधुनिक और आरामदायक बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को राजघाट डिपो पहुंचकर बसों का निरीक्षण किया, जो कि इस योजना की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम है।

गुस्साए लोगों ने थाने पर किया प्रदर्शन

छह साल के बच्चे से कुकर्म

हरिभूमि न्यूज ▶▶नई दिल्ली

गोविंदपुरी इलाके में छह साल के बच्चे को अगवा कर कुकर्म किया गया। आरोप एक पड़ोसी पर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। मंगलवार रात घंटो सड़क बाधित रही। आखिर में सीनियर अफसरों के समझाने बुझाने पर स्थिति को कंट्रोल में लाया गया।

पुलिस के मुताबिक एक सितंबर को छह वर्षीय बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया था। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद बच्चा लगभग साढ़े 12 बजे

परिजन को मिल गया था। परिजन उसे पुलिस स्टेशन लाये थे। बच्चे की मेडिकल जांच और बयान होने के बाद उसे लाजपत नगर स्थित केयर होम भेजा गया। दो सितंबर को परिजनों ने किसी तरह के यौन उत्पीड़न का आरोप किसी पर नहीं लगाया। इसके बाद बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने भी पेश किया गया था। वहां बच्चे ने एक शख्स पर अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया। मंगलवार शाम यानि तीन सितंबर को बच्चे के साथ हुई गंदी हरकत को लेकर परिजनों द्वारा पुलिस कॉल की गई। यह पता चलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूंट पड़ा और वे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस को मौके पर पहुंचने पर पता चला कि बच्चे से कुकर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पड़ोसी है। गुस्साए लोगों ने आरोपी पर हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी तरह पुलिस उसे बचाकर पुलिस स्टेशन ले गई। बाद में पुलिस ने किडनैपिंग के इस केस में पॉक्सो एक्ट की धारा को भी शामिल कर लिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने गोविंदपुरी थाने के बाहर पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ राजनीति से प्रेरित लोगों ने उपद्रव किया, जो उग्र भीड़ को श्रीलाल चौक गोविंदपुरी तक ले आए। यहां करीब 10 मिनट तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही।

मेवात का हथियार तस्कर स्पेशल स्टाफ के हत्थे चढ़ा

हरिभूमि न्यूज ▶▶नई दिल्ली

■ हथियार और कारतूस बरामद

स्पेशल स्टाफ द्वारका टीम ने एक मेवाती हथियार सप्लायर को अरेस्ट किया है। इसके पास से दो देशी कट्टे और पांच कारतूस बरामद हुये। आरोपी तौफीक मोहम्मद पहले भी हथियार आपूर्ति के मामलों में शामिल रहा है।

एडिशनल डीसीपी निशांत गुप्ता के अनुसार 6 मार्च 23 को मेवात के हथियार आपूर्तिकर्ता लवकुश को स्पेशल स्टाफ टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से आधा दर्जन कट्टे और एक दर्जन कारतूस बरामद हुये थे। इस संबंध में द्वारका नॉर्थ थाने में केस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही रिसीवर नासिर को एक देशी कट्टे और दो कारतूस के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ पर आरोपी नासिर ने बताया था कि वह रमजान, आमिर और तौफीक के निर्देश पर अवैध असलहों की सप्लाई करता है। नासिर की निशानदेही पर सह-अभियुक्तों रमजान, आमिर और तौफिक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लेकिन सभी गिरफ्तारी से बच रहे थे। हाल ही में तौफीक के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तौफीक जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। इसके साथियों रमजान और आमिर को पकड़ने के प्रयास जारी है।

अदालत ने चाणक्यपुरी में बारिश के पानी में डूबे लड़के की मौत के मामले में एनडीएमसी से जवाब मांगा

एजेंसी▶▶नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने चाणक्यपुरी इलाके में बारिश के पानी में 15 वर्षीय एक लड़के के कथित रूप से डूबने से जुड़ी याचिका पर बुधवार को एनडीएमसी से जवाब मांगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर जनहित याचिका पर नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को नोटिस जारी किया। शेखावत ने इस त्रासदी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का अनुरोध किया है। एनडीएमसी के वकील ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा और कहा कि एनडीएमसी क्षेत्रों में इतना जलभराव नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि यह बयान सही नहीं है। भारी बारिश के बाद, मध्य दिल्ली के चाणक्यपुरी में 23 अगस्त को ब्रिटिश स्कूल के पास सड़क किनारे जमा बारिश के पानी में लड़का डूब गया, जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। याचिकाकर्ता ने मृतक के परिवार के लिए मुआवजे का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में तय की है।

रुपयों के लेनदेन में युवक को गोली मारी, घायल अस्पताल में भर्ती

कार मौके पर छोड़ भागे हमलावर मालवीय नगर की घटना

हरिभूमि न्यूज ▶▶नई दिल्ली

साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक कार जब्त की है, जिसे हमलावर छोड़कर फरार हुये थे। घायल युवक का नाम विकास (26) बताया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। वारदात के चश्मदीद ने कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताये हैं। मामला रुपयों के लेनदेन से जुड़ा बताया जाता है।

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े बजे मालवीय नगर थाने को इस घटना की पीसीआर कॉल मिली थी। कालू सराय निवासी कॉलर ने बताया कि तीन लड़के कार से

आए थे, जो उसके भतीजे विकास पर फायरिंग कर भाग गए। विकास को हॉस्पिटल ले जाया गया है। साथ ही बताया गया कि हमलावर जिस कार से आये थे वह मौके पर ही छोड़ गए। लोकल पुलिस, क्राइम और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंच जांच की। घटनास्थल से एक कारतूस, गोली का खोल व अन्य सामान मिला। मौके पर मिले राहुल ने बताया कि यह हमला विकास के दोस्त अनीश निवासी सोनीपत ने रितिक व एक अन्य युवक के साथ मिलकर किया है। राहुल का अनीश से रुपयों को लेकर विवाद था। यह हमला उसी का नतीजा है। पुलिस सूत्रों का कहना है घटना के समय विकास ने राहुल को बचाने का प्रयास किया था। राहुल तो बच गया लेकिन वह वारदात का शिकार हो गया। पुलिस ने मामले में राहुल के बयान पर हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सलिल कपूर की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एटलस साइकिल्स के पूर्व अध्यक्ष सलिल कपूर की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कपूर मंगलवार अपराह्न को डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम रोड स्थित अपने तीन मंजिला घर के भूतल के फर्श पर मृत पाए गए थे और उनके सिर में गोली लगने का निशान था। घटनास्थल से बरामद एक कथित सुसाइड नोट में सलिल कपूर (65) ने अपने ऊपर आर्थिक बोझ और चार लोगों द्वारा उत्पीड़न किये जाने का जिक्र किया है। एक अधिकारी के अनुसार, सुसाइड नोट में जिन चार लोगों का नाम है, उनके खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चारों आरोपी हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि चारों को जल्द ही जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अंग्रेजी में लिखे एक पन्ने के सुसाइड नोट में कपूर ने लिखा है कि वह अपनी जान खुद ले रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने तीन डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित किया और शव का पोस्टमार्टम कराया तथा शव परिजनों को सौंप दिया।

दिल्ली दंगे 2020: यूएपीए मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से अदालत का इनकार

एजेंसी▶▶नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में भड़के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में बुधवार को छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इमाम ने दंगों की कथित बड़ी साजिश को लेकर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि पहले से ही यह मामला सात अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए निर्धारित तारीख से पहले सुनवाई करने का अभी कोई आधार नहीं है। इमाम, उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर 'मास्टरमाइंड' होने के लिए यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दंगे में

53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इमाम के वकील ने खंडपीठ को बताया कि उनके मुवक्किल की जमानत याचिका खारिज करने को लेकर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील 28 महीने से लंबित है और इस मामले को कई बार सूचीबद्ध किया जा चुका है, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। पीठ ने कहा कि हर दिन उसके समक्ष 80 से अधिक मामले सूचीबद्ध होते हैं और इमाम की अपील अन्य सह-आरोपियों की इसी तरह की अपीलों के साथ अगले महीने एक निश्चित तारीख को सूचीबद्ध की जा चुकी है। अदालत ने कहा कि चूंकि अपील सात अक्टूबर को अपराह्न 3:15 बजे अंतिम सुनवाई के लिए, सूचीबद्ध है, इसलिए, उस तारीख से पहले सुनवाई करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।" इमाम ने शीघ्र सुनवाई संबंधी अपनी अर्जी में कहा था कि 2022 में नोटिस जारी होने के बाद उनकी याचिका को हाईकोर्ट की सात अलग-अलग खंडपीठों के समक्ष कम से कम 62 बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आवेदन में कहा गया था कि रोस्टर परिवर्तन, न्यायाधीशों के सुनवाई से खुद को अलग करने और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के कारण पीठों की संरचना में लगातार बदलाव की वजह से मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इस तरह हर बार सुनवाई का नया सिलसिला शुरू हो गया। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि मौजूदा मामले में मुकदमा 2020 से विशेष अदालत के समक्ष लंबित है, लेकिन जांच अब भी जारी है और अभी तक आरोप तय नहीं किये गए हैं।

कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला

अदालत ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

एजेंसी▶▶नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से हुई मौत से संबंधित मामले में गिरफ्तार छह लोगों को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपियों की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाले एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया। सीबीआई की चार दिन की हिरासत की मियाद खत्म होने पर आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि आगे आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई ने आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और भ्रष्ट आचरण समेत विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दायर किया है।

MOHIT मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड
CIN: L21093DL1992PLC116600
पंजी. कार्यालय : 15ए/13, अपर ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
वर्क्स : 9 किमी. पत्थर, नगीना रोड, बिजनौर, यू.पी.-246701
Ph: 011- 25886798,
Website: www.mohitpaper.in, E-Mail: investorsmohitpaper@gmail.com

सदस्यों को 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

यह 27 अगस्त 2024 को दी गई हमारी पूर्ववर्ती सूचना की निरंतरता में है, जिसके द्वारा मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड ("दि कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सरकुलर नं. 14/2020 (दिनांक 08 अप्रैल 2020) और नवीनतम सरकुलर नं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 ('एमसीए सरकुलर्स') और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सरकुलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (12 मई 2020), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (15 जनवरी 2021), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (13 मई 2022), सरकुलर नं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (05 जनवरी 2023) और नवीनतम सरकुलर नं. SEBIHO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्तूबर, 2023 ("सेबी सरकुलर्स") के साथ पठित सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों 2015 ["सेबी लिस्टिंग नियमनों"] और कम्पनी अधिनियम 2013 ('एक्ट') और उनके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 को अप. 4.00 बजे आयोजित की जा रही है और 32वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्टानुसार बिजनेसेज का सम्पादन करने के लिये किसी कॉमन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंस ('वीसी') सुविधा के माध्यम से बुलाई गई है।

32वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने समेत ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण ई-मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजने की प्रक्रिया 03 सितम्बर 2024 को पूर्ण कर ली गई है जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा उपरोक्त एमसीए सरकुलर्स और सेबी सरकुलर्स के अनुसार उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत थे, इसके साथ-साथ ये कम्पनी की वेबसाइट पर www.mohitpaper.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर www.bseindia.com और आरटीए अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ('एलआईआईपीएल') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड / इलैक्ट्रोनिक प्रति उन शेयर धारकों को भी भेजी जाएंगी जो investorsmohitpaper@gmail.com पर हमें लिखकर इसके लिए आग्रह करेंगे।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सेबी लिस्टिंग नियमनों के नियमन 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक-2 और एमसीए सरकुलर्स के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 32वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर लिंक https://instavote.linkintime.co.in का उपयोग करते हुए दूरस्थ ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से इलैक्ट्रोनिकली अपना मतदान करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी के शेयरधारक लिंक अर्थात https://instameet.linkintime.co in का उपयोग करते हुए वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं। तरीका जिसमें शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के समय ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं और वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, के सम्बन्ध में निर्देश एजीएम की सूचना में निहित हैं। सदस्य जो कट-ऑफ तिथि अर्थात 20 सितंबर, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") के अनुसार या तो भौतिक रूप में अथवा डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करते हैं, वीडियो कांफ्रैंस वीसी/ओएवीएमके माध्यम से एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट प्रस्तावों पर इलैक्ट्रॉनिकली अपना मतदान कर सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. 32वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट बिजनेसेज का सम्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाएगा ;
2. दूरस्थ ई-वोटिंग 24 सितंबर 2024 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारम्भ होगी ;
3. दूरस्थ ई-वोटिंग 26 सितंबर 2024 को अप. 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी ;
4. 32वीं एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि 20 सितंबर, 2024 है और कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, इस सूचना को केवल जानकारी के प्रयोजनों हेतु माने।
5. व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर अर्जन करता है और 32वीं एजीएम की सूचना भेजने के पश्चात कंपनी का सदस्य बनता है और शेयर धारण करता है और मतदान के लिए पात्र है, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एजीएम की सूचना में प्रदान किए अनुसार लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) से इलैक्ट्रोनिकली मतदान करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा instameet@linkintime.co.in/ enotices@linkintime.co.in पर हमें एक ई-मेल लिखें अथवा टेली. : 022-49186175 पर सम्पर्क करें / 022-49186000 पर कॉल करें। यदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए लिंकइनटाइम के पास पहले से ही पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
6. सदस्य ध्यान दें : ए) दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त तिथि व समय के पश्चात् वोटिंग हेतु आरटीए द्वारा अयोग्य कर दिया जाएगा और एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा मतदान कर दिया जाता है तो तदोपरांत इसे परिवर्तित करने की अनुमति सदस्य को नहीं दी जाएगी ; बी) जो सदस्य एजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत दे चुके हैं, एजीएम में भी उपस्थित रह सकते हैं परन्तु उन्हें अपना मत दोबारा देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ; सी) इलैक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से मतदान हेतु सुविधा एजीएम में उपलब्ध करवाई जाएगी; और डी) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा कटऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा मैनटेन किये गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, को ही केवल दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार होगा।
7. अधिनियम के लागू प्रावधानों और नियमों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग में 32वीं एजीएम में संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए कंपनी द्वारा संवीक्षाकर्ता के रूप में श्री अंकित जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सीपी नंबर 26724) को नियुक्त किया गया है।
8. संवीक्षाकर्ता 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के समापन के पश्चात परन्तु एजीएम के समापन से 2 (दो) कार्य दिवसों तक इसकी अन्तिम रिपोर्ट जमा करवाएंगे ; और बैठक के अध्यक्ष या उनकी ओर से उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति संवीक्षाकर्ता द्वारा अंतिम रिपोर्ट जमा करवाने के उपरांत 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक में ग्रहण किए गए प्रस्तावों पर मतदान का परिणाम घोषित करेंगे। संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट पर www.mohitpaper.in पर और उसी समय बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और आरटीए को भी संचारित किया जाएगा।
9. दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग से सम्बन्धित मुद्दों और चिंताओं समेत किन्हीं प्रश्नों के माम्लों में आप एफएक्यूएस और Instavote-Linkintime पर उपलब्ध इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in को एक ई-मेल लिखें अथवा 022-49186000 पर कॉल करें।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड
हस्ता/-
(संदीप जैन)
प्रबंध निदेशक सह अध्यक्ष

दिनांक : 04 सितम्बर 2024
स्थान : नई दिल्ली

50 हजार का इनामी क्राइम ब्रांच ने दबोचा

कई मर्डर केस में शामिल रहा अपराधी बिहार से गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶नई दिल्ली

नरेला के डबल मर्डर केस में वांटेड 50 हजार के इनामी बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। यह मामला प्रतिद्वंद्वी गिरोह के दो सदस्यों की हत्या का था। आरोपी पहले भी एक दर्जन से अधिक जघन्य मामलों में शामिल रहा है। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, सशस्त्र डकैती, आर्म्स एक्ट सहित अन्य मामले हैं। 2018 में इसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इसके साथ ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने के सशस्त्र डकैती के एक अन्य मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

डीसीपी सतीश कुमार के अनुसार आरोपी कप्तान उर्फ तनु निवासी बांकनेर, नरेला का रहने वाला है। 46 वर्षीय बदमाश का संबंध नामी गिरोह के खूंखार और जेल में बंद गैंगस्टरों से रहा है। इसे ग्राम बिशुनपुर, जिला सारण बिहार से पकड़ा गया। आरोपी किसान परिवार से संबंध रखता है। इसका जन्म 1978 में बांकनेर में हुआ था। पिता एक किसान थे और मां गृहिणी थी। इसके तीन भाई और चार बहनें बताई गई है। 10वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद यह बुरी संगत में पड़ गया था। 1995 में अपने गांव के ही अनूप की हत्या कर इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। मृतक अनूप का इसके साथी से झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए कस्सी (कुदाल) से अनूप की हत्या की गई थी। 2000 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेला निवासी मंजीत की गोली मार हत्या की थी। यह हत्या भी साथी के साथ हुये झगड़े का बदला लेने के मकसद से

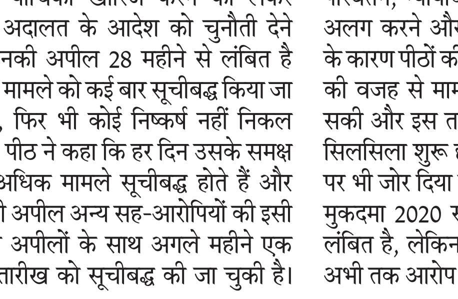

की गई थी। 2003 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर रविकांत उर्फ पप्पल निवासी चुलकाना की हत्या को अंजाम दिया था। यह हत्या भी साथी सुरेंद्र उर्फ काकू निवासी खेड़ी के साथ हुये झगड़ा का बदला थी। जेल में रहने के दौरान वह कुख्यात बदमाशों के संपर्क में आया और उनके गिरोह में शामिल हो गया। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने अपने इलाके में केबल का कारोबार शुरू किया। प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्य इलाके में अपना केबल व्यवसाय चलाना चाहते थे। इस प्रकार इनके बीच क्षेत्र में वर्चस्व की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। 2010 में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के दो सदस्यों ने उनके केबल कार्यालय में आग लगा दी थी और उनके एक लाइनमैन की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी अपने गांव में अवैध शराब का कारोबार भी चलाता था। आरोपी की पत्नी बिहार के सारण जिले की रहने वाली है। आजकल वह ससुराल के पास वाले गांव में किराए के मकान में छिपकर रह रहा था। यह अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने और पुलिस से बचने के लिए किराने की दुकान चला रहा था। आरोपी पर दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में हत्या, हत्या के प्रयास, सशस्त्र डकैती आदि सहित 15 मामले दर्ज पाये गये हैं।

रोजगार मेले में 117 विद्यार्थियों को मिला रोजगार

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ भीमराव अंबेडकर कॉलेज में समाज कार्य विभाग और समान अवसर सेल ने समावेशी रोजगार मेला 2024 का आयोजन किया। इस मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रो. राज किशोर शर्मा, विशिष्ट अतिथि शिवम देशपांडे व सतीश के, कॉलेज प्राचार्य प्रो सदानंद प्रसाद, कार्यक्रम की संयोजिका डॉ अंजली सुमन और समाज कार्य विभाग की प्रभारी व समन्वयक डॉ. तृष्टि भारद्वाज ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम की संचालिका प्रो. रिचा ने सभी अतिथियों का सामान्य परिचय दिया।

इस रोजगार मेले में रोजगार के लिए 371 लोगों ने इंटरव्यू दिया जिसमें 324 दिव्यांग और 47 गैर दिव्यांग शामिल रहे। मेले में 117 अभ्यर्थियों कंपनियों द्वारा रोजगार प्रदान किया गया। रोजगार मेले में ताज होटल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सोनवर्षा प्राइवेट लिमिटेड और समर्थनम जैसी कंपनियां शामिल रहीं।

एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन: L74210DL1987PLC029979
पंजीकृत कार्यालय: 1400, हेमकुंट टॉवर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोन: 011–42504954 / 4878, **फैक्स:** 28293822
ईमेल आईडी: sbecsystems@rediffmail.com **वेबसाइट:** www.sbecsystems.in

35वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

प्रिय सदस्य(गण)

एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, 08 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिनमें सबसे नया कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 का परिपत्र संख्या 09/2023, 05 जनवरी, 2023 का परिपत्र संख्या सेबी/एचआ/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 और प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा जारी 07 अक्टूबर, 2023 का परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 है। एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्धारित कारोबार करने के लिए भारतीय विनिमय बोर्ड (सेबी) को सदस्यों को नियुक्त करना होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sbecsystems.in और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा ("ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग और सदस्यों द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए ई–मेल पते के पंजीकरण/अद्यतन का तरीका:

क. **डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत/अपडेट करें।

ख. **भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया फॉर्म ISR-1, फॉर्म ISR-2 और फॉर्म संख्या SH-13 (नामांकन फॉर्म) को उसमें बताए गए निर्देशों के अनुसार विधिवत भरकर सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA), मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली – 110062 या ई–मेल: beetalrta@gmail.com पर उपलब्ध कराएं। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट यानी www.sbecsystems.in और इसके RTA की वेबसाइट www.beetalfinancial.com पर उपलब्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें, जिसमें एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका शामिल है। कृपया किसी भी सहायता के लिए कंपनी को लिखें।

बोर्ड के आदेश से
एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
प्रियंका नेगी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.09.2024